



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 1165 / 08 / प्रशा० / एम.एस.यू. / 2023-24
सेवा में,

दिनांक: 21/09/2023

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक C-2712 / स०क० / दशमो छात्र० / 2023-24 दिनांक 19.09.2023 (पत्र संलग्न) एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं०- 72 / 2023 / 2851 / 26-3-2023 / C.N.-1741061 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 (पत्र संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु समय-सारणी निर्गत की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न समय-सारणी के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-दृथोपरि।

भवदीय

(डॉ० राकेश चन्द्र)
नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. उपकुलसचिव।
4. जिला समाज कल्याण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति

कार्यालय:- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

ई-मेल

पत्रांक C-2712 / स10क0 / दशमो छात्रो / 2023-24 / दिनांक 19/09/2023

प्राचार्य, नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)

समस्त डिग्री / तों / मैनेजमेंट / इंजीनियरिंग / मेडिकल / नर्सिंग / पैरामेडिकल,

बी0एड0 / बी0टी0सी / पालीटेक्नीक / आई0टी0आई एवं निजी विश्वविद्यालय,

समस्त इन्टर कालेज, जगपद सहारनपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल

सामन्वयक (छात्रवृत्ति) निवासी सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

20.9.23

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 72 दिनांक 15/09/2023 के द्वारा समय-सारणी जारी की गयी है। यह पत्र निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी-2916 दिनांक 18/09/2023 के द्वारा प्राप्त हुयी है।

समय-सारणी अनुसार शिक्षण स्तर द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक आदि द्वारा फीस का सत्यापन करने एवं छात्रों के द्वारा आवेदन करने/ विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक आदि द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठयक्रम व संस्था को ब्लॉक करने आदि कार्यवाही सम्पन्न की जानी है। मास्टर डाटा अपडेट करते समय प्रत्येक प्रविष्टि त्रुटिरहित होनी चाहिये।

समय सारणी में छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन करने की तिथि 22/09/2023 से 31/12/2023 है।

अतः उक्त समय-सारणी इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समय-सारणी का विन्दुवार अध्ययनकर अनुपालन करते हुये समस्त छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा छात्रों को आनलाईन आवेदन करने की तिथि, संस्था में आवेदन प्राप्त कराने की तिथि, संशोधन की तिथि व अन्य मुख्य सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

उक्त समय-सारणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोनन्त (promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन का नवीनीकरण कर सकेंगे।

छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुये आनलाईन आवेदन किया जा सकेंगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुये आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुये अग्रसारित कराना होगा। परीक्षा फल न निकलने अथ छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंको को जोड़ते हुये) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

समस्त छात्रों के बैंक खाते आधार से सीडेड कराने व NPCI (नेशनल पेमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया) से मैड कराने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित कर दे कि छात्र खातो में निरन्तर लेन-देन करते रहे।

यह भी सुनिश्चित कर ले कि किसी भी छात्र का खाता कियोस्क आधारित बैंक यथा फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक में न खोला जाये यदि किसी छात्र का आधार नम्बर पूर्व से ही इन बैंको में सीडेड है तो छात्रों को निर्देशित कर दे कि वह अपना आधार नम्बर इन बैंको से तत्काल हटा ले। रिनीवल के छात्र भी अपना खाता इन बैंको से बंद कर ले तथा अपना आधार नम्बर तत्का हटा ले। कियोस्क आधारित बैंक यथा फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक में छात्रवृत्ति की धनराशि हरतान्तरित नहीं होगी।

छात्रों के आवेदन करने के उपरांत फाईनल प्रिन्ट निकालने से पूर्व प्राचार्य/नोडल अधिकारी एवं स्कूल स्तर पर गठित समिति आवेदन पत्र में अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों से कर ले। समस्त प्रविष्टियों पूर्ण रूप से सही होनी चाहिये। इसके उपरांत ही छात्र को फाईनल प्रिन्ट

(2)

निकाल कर संस्था में जमा करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। सूच्य है कि समस्त प्रविष्टियों आनलाईन त्रुटिरहित होनी चाहियें।

अतः उक्त समय-सारणी एवं अन्य निर्देशो से समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अचना)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ० सं० / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, (योजनाधिकारी छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- सहायक निदेशक (नोडल छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से उक्त समय-सारणी के संबंध में समस्त इन्टर कालेज को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- रजिस्ट्रार, माँ शाकुम्बरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
- 6- संयुक्त निदेशक, (प्रशि०/शिक्षु०) सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।
- 7- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सहारनपुर।

संख्या- 72/2023/2851/26-3-2023/C.N.-1741061

प्रेषक,
रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 अगस्त, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2597/स०क०/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्वोरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<p>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना।</p> <p>मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p>	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, रीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उराकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
3	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागि में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक
8	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके	12 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक

	शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिण पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिण पर उपलब्ध कराना।	
10	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिण में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	31 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित सलग्रकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्र अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	04 मार्च, 2024 तक
15	माँग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 मार्च 2024 तक

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।

3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आग्रह चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में

पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-

क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।

ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।

ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।

7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

सू०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ विरा/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-2916

/स०क०/शिक्षा-अ/6/597/2023-24

लखनऊ, दिनांक: 18 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6-राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय-सारिणी के शासनादेश संख्या-72/2023/2851/26-3-2023/C.No.-1741061 दिनांक 15.09.2023 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ मास्टर डाटा हेतु निर्धारित तिथि 21 सितम्बर 2023 से तथा छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन आनलाइन किये जाने की तिथि 22 सितम्बर 2023 से प्रत्येक दशा में पोर्टल खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- 7-वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 8-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 9-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समयान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(पवन कुमार)
निदेशक